

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास
परिषद, लखनऊ ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 19 जून 2009

विषय:-

गिरते भू-जल स्तर को रोकने तथा वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज के संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही के संबंध में ।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक गिरते भू-जल स्तर को रोकने तथा वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज के संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति के निर्णयानुसार कतिपय उपायों को लागू किये जाने के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

1. **शहरी क्षेत्रों हेतु जल संरक्षण हेतु निम्न जनोपयोगी कार्यवाहियों की जाय:-**
 - (1) शहरी क्षेत्र के अनुपयुक्त क्षेत्र में तालाबों/वाटर बाडीज का निर्माण ।
 - (2) सड़कों पर गिरने वाले वर्षा जल का रिचार्ज ट्रेन्च के माध्यम से रिचार्ज ।
 - (3) सड़कों के किनारे पेवमेन्ट में परफोरेटेड ब्लाक्स का उपयोग किया जाना ।
 - (4) शहर के बाहरी क्षेत्र में भूगर्भ जल पोषित जल कल (वाटर वर्क्स) स्थापित करना ।
 - (5) रिसाइकिल्ड वाटर का रिचार्ज (सीवर वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित कर ट्रीटेड जल का रिचार्ज) अथवा उसका सिंचाई एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग ।
 - (6) शहर के विभिन्न भागों में स्थित पार्कों में रिचार्ज ट्रेन्च का निर्माण ।
- (10) विशेष रूप से 10 लाख से ऊपर आबादी वाले क्षेत्रों में पेयजल हेतु एवं धुलाई/सफाई कार्य हेतु पृथक-पृथक पाइप लाइन विछाने की कार्य योजना बनाई जाए ।

५

- 2- शासनादेश में निहित प्रावधानों के निम्न मदों का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए नियमित प्रगति रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराने के संबंध में-
- (1) नगरीय क्षेत्रों में तालाब/पोखरों व जलाशयों का संरक्षण।
 - (2) 20 एकड़ से अधिक व कम क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में तालाब जल संरक्षण इत्यादि के किये गये प्राविधान।
 - (3) नई आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति, ड्रेनेज व सीवरेज नेटवर्क के साथ भूजल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु पृथक नेटवर्क।
 - (4) 300 वर्गमी० अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल में निर्मित भवनों पर रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्य व्यवस्था।
 - (5) निजी निर्माताओं अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग कालोनियों तथा बहुमंजिला इमारतों में उक्त प्राविधानों के अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था अपनाई जाय और प्रत्येक माह विभिन्न रूप से सभी मदों की प्रगति उपलब्ध कराई जाय।
 - (6) सड़कों के किनारों को यथासंभव कच्चा रखने तथा उसमें ब्रिक आन ऐज/लूज स्टोन पेवमेंट के प्राविधान।
- 3- शहरी क्षेत्रों में तालाबों एवं वाटर बाडीज के संरक्षण हेतु रिपेयर रिपोपेशन आफ वाटर बाडीज की केन्द्र पोषित योजना जिसका प्रदेश में नोडल विभाग भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग है, से धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिकरण अपनी योजना बनाकर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें, ताकि केन्द्र पोषित उक्त योजना का लाभ प्राप्त किया जाय सकें।

भवदीय,


(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निदेशक, (अनुश्रवण)आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि समस्त अभिकरणों को उक्त की प्रति प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(एच०पी०सिंह)
अनु सचिव